राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

एफ.28( )पराविं/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.–कल्याणपुर/निलम्बन/2018/970 जयपुर,दिनांकः 21.2.18

:: आदेश ::

श्री दीपाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. कल्याणपुर, जिला बाडमेर को पुलिस थाना मण्डली द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 513/2017 में दिनांक 07.12.2017 को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 08.12.2017 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बालोतरा द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 513/2017 में आदेश दिनांक 11.12.2017 को श्री दीपाराम को जमानत पर रिहा किया गया है।

अतः श्री दीपाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. कल्याणपुर, जिला बाडमेर के 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के प्रावधानानुसार इनको गिरफ्तारी दिनांक 07.12.2017 से निलम्बित करने के आदेश प्रदान करते हुए, निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय जिला परिषद बाडमेर रहेगा।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर को उनके पत्र क्रमांक 102 दिनांक 09.01.2018 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री दीपाराम को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोडे। निलम्बन काल में इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कल्याणपुर (बाडमेर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश तत्काल श्री दीपाराम को तामील करवाकर जिला परिषद बाडमेर हेतु कार्यमुक्त करते हुए पालना रिपोर्ट व उक्त निलम्बन आदेश का इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर प्रमाणित प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री दीपाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. कल्याणपुर (बाडमेर)।
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
6. ACP, मुख्यालय

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

D\SSR\CCAPE\2018\Notice2018.DOC